

न अदालत \_\_\_\_\_ मुकाम \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ बनाम \_\_\_\_\_  
 त्म मुकदमा \_\_\_\_\_ नं. \_\_\_\_\_ सन् \_\_\_\_\_

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
----------------	----------------------------------	---

01R10 CPC दिनांक 10.6.24 को फेर हा

*[Signature]*  
 बहायत कलक्टर पूर्या  
 बीलपुर (राज०)

10/6/24 वकील उत्तम पटेल उपस्थित / अतिभाषक  
 संघ ने 10/6/24 को दी है P.O. साख  
 दीनर राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली  
 दि० 5.7.24 को फेर जो।

③

5/7/24

वकील उत्तम पटेल उपस्थित / अतिभाषक  
 01R10 CPC एवं लंबी प्रलंबी संख्या  
 हेतु समय-समय पर अदालत दिने जा चुके  
 हैं। न्यायाधीश के एक अति अदालत और डिमा  
 की प्रभावली चाहते अदालत 01R10 CPC व  
 लंबी प्रलंबी संख्या। दिनांक 29.7.24 को फेर  
 हा।

*[Signature]*  
 बहायत कलक्टर पूर्या  
 बीलपुर (राज०)

29/7/24

कोई उपस्थित नहीं / प्रभावली का अवलोकन  
 किया गया। प्रकरण प्रलंबी संख्या। वकील उत्तम पटेल व  
 01R10 CPC हेतु काफी लम्बे अर्से से लामिन  
 ही इस हेतु न्यायालय हाजा द्वारा वकील वहीगण को  
 कई बार अदालत दिने जा चुके हैं। इतने अदालत  
 दिने जाने के उपरान्त भी वकील वहीगण द्वारा कोई  
 कार्यवाही नहीं किया जाना उनकी ओर से प्रकरण  
 में कोई कानि नहीं करने एवं प्रकरण को प्रभावली  
 रूप से कनेक्ट नहीं करने की आज्ञा को जारी  
 करता है। जबकि अ न्यायालय नियमों के अन्तर्गत  
 वाद को विस्तृत करने / निष्पत्ती (न्यायाधीश प्रक्रियाओं)

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व  
अहकाम  
हुकम को  
में जा

की पूर्ण छिमे जाने का पूर्णकरण शक्तिव  
वादी का ही रहता है। ऐसी स्थिति में सिविल  
प्रक्रिया संहिता के आदेश 09 नियम 5 के  
प्रकटाने के अन्तर्गत प्रकरण नोट कम्प्लायन्स  
अफ़ लम्ब्रील में दावा बाहीगन खारिज किया  
जाता है। परमावकी फ़िलहाल होना शक्तिव  
दफ़्तर है।



बुर्हान कलक्टर मुक्याब  
बीलपुर (राज०)